

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक: 26.05.2021

गरीब, असहाय महिलाओं को कोरोना महामारी को देखते हुए साड़ी, मास्क व आर्थिक मदद की गई ।

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश-निर्देश के क्रम में व श्री सुरेश चंद्र रावत, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण व श्री रमेश चंद पाण्डेय, क्षेत्राधिकारी इटवा कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 26/05/2021 को श्री राजेन्द्र कुमार सिंह, प्रभारी निरीक्षक शोहरतगढ़ द्वारा गरीब, असहाय महिलाओं को कोरोना महामारी को देखते हुए साड़ी, मास्क व आर्थिक मदद की गई व कोविड -19 के दृष्टिगत लोगों को जागरूक किया गया । लोगों को बताया गया कि नियमित रूप से हाथ धोते रहें । अनावश्यक घर से बाहर न निकलें ।

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक: 26.05.2021

जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर एवं पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर की संयुक्त अध्यक्षता में मा0 मुख्यमंत्री जी के भ्रमण कार्यक्रम के दृष्टिगत सुरक्षा-व्यवस्था हेतु ड्यूटी में लगी पुलिस बल की ब्रीफिंग की गयी ।

आज दिनांक : 26.05.2021 को समय 13:00 बजे, लोहिया कला भवन, सभागार जनपद सिद्धार्थनगर में श्री दीपक मीणा, जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर एवं श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर की संयुक्त अध्यक्षता में तथा श्री सुरेश चन्द्र रावत, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल निर्देशन में मा0 मुख्यमंत्री जी के भ्रमण कार्यक्रम के दृष्टिगत सुरक्षा-व्यवस्था हेतु पुलिस बल की ड्यूटी लगायी गयी है । ड्यूटी में लगे सभी राजपत्रित अधिकारी/थाना प्रभारी/शाखा प्रभारी/उ0नि0/म0उ0नि0/हे0का0/कां0/महिला आरक्षी/टी0पी0 की ब्रीफिंग करते हुए समस्त को उनके पद की गरिमा एवं दायित्वों के कुशल क्रियान्वयन/निर्वहन हेतु ड्यूटी एवं ड्यूटी स्थल की बारीकियों सम्बन्धी समस्त जानकारियों के सम्बन्ध में बताया गया ।

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक: 26.05.2021

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेशानुसार अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाये गये अभियान के दृष्टिगत श्री सुरेश चन्द्र रावत, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर व श्री अरुण चन्द्र, क्षेत्राधिकारी बांसी के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक बांसी श्री शैलेश कुमार सिंह द्वारा मु0अ0सं0 120/2021 धारा 376,504,506 ipc व ¾ पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त प्रवीन पुत्र वृजलाल हरिजन साकिन गौरी थाना कोतवाली बांसी जनपद सिद्धार्थनगर को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय रवाना किया । मा0 न्यायालय द्वारा 14 दिवस रिमाण्ड पर जेल भेजा गया ।

नाम पता अभियुक्त गण-

01-प्रवीन पुत्र वृजलाल हरिजन साकिन गौरी थाना कोतवाली बांसी जनपद सिद्धार्थनगर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

01-प्र0नि0 शैलेश कुमार सिंह थाना बांसी जनपद सिद्धार्थनगर ।

02-हे0का0 शैलेश कुमार सिंह थाना बांसी जनपद सिद्धार्थनगर ।

03-हे0का0 पवन कुमार मौर्या थाना बांसी जनपद सिद्धार्थनगर ।

04-हे0का0 शिवकुमार सरोज थाना बांसी जनपद सिद्धार्थनगर ।

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक: 26.05.2021

यातायात नियमों का उल्लंघन कर फर्माटा भरने वाले वाहनों/व्यक्तियों का ई-चालान व सीज करने की कार्यवाही हेतु पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा समस्त क्षेत्राधिकारी/प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष को निर्देशित किया गया है, इसी क्रम में आज दिनांक:- 26-05-2021 को जनपदीय पुलिस बल द्वारा एम0वी0 एकट के अंतर्गत 418 वाहनों को चेक किया गया तथा कुल 109 वाहनों का चालान कर ₹ 1,06,500/-शमन शुल्क वसूल किया गया।

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक: 26.05.2021

“10 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ शराब तस्करी गिरफ्तार ”

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में “अपराध एवं अपराधियों” के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत श्री सुरेश चन्द्र रावत, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण व श्री रमेश चंद्र पाण्डेय, पुलिस उपाधीक्षक, इटवा के कुशल निर्देशन में आज दिनांक 26/5/2021 को श्री अजय कुमार सिंह, प्रभारी निरीक्षक मिश्रौलिया के नेतृत्व में थाना मिश्रौलिया पुलिस के हे0का0 शमशेर खाँन, का0 विशाल पासवान के द्वारा अभियुक्त के पास से 10 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0 55/21 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।

नाम पता अभियुक्त- रामबरन पुत्र बन्नु साकिन बैलिहवा थाना मिश्रौलिया जनपद सिद्धार्थनगर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

01- हे0का0 शमशेर खाँन थाना मिश्रौलिया जनपद सिद्धार्थनगर।

02- का0 विशाल पासवान थाना मिश्रौलिया जनपद सिद्धार्थनगर।

